राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(1)न्याय/2021 जयपुर, दिनांक 08.07.2021

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषयः-मुख्यालय से बाहर नवसृजित् 3 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत् करने बाबत्।

संदर्भः-इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत् इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08.07.2021 द्वारा मुख्यालय से बाहर नवसृजित् 3 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों यथा- आनन्दपुरी जिला बांसवाडा, चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर एवं उच्चैन जिला भरतपुर हेतु निम्नलिखित पद सृजित् करने हेतु माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	पदनाम	पे-स्केल	पे-बैण्ड/ पे-लेवल/ ग्रेड-पे	पे-मेट्रिक्स	पदों की संख्या (प्रति न्यायालय)	कुल पदों की संख्या
1	पीठासीन अधिकारी	27700-44770	-	36235	1	3
2	स्टेनोग्राफर ग्रेड-III	9300-34800	PB-II/L-10/3600	33800	1	3
3	शेरिश्तेदार ग्रेड-III	5200-20200	PB-I/L-8/2800	26300	1	3
4	रीडर ग्रेड-III	5200-20200	PB-I/L-8/2800	26300	1	3
5	लिपिक ग्रेड-II	5200-20200	PB-I/L-5/2400	20800	3	9
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200-20200	PB-I/L-1/1700	17700	3	9
	कुल				10	30

उक्त न्यायालयों हेतु नवीन आईटम्स के लिये प्रति न्यायालय निम्नानुसार राशि स्वीकृत की जाती है-

क.सं.	नवीन आईटम्स (प्रति न्यायालय)	राशि (लाखों में)
1	फर्नीचर	3.00
2	टेलीफोन (1 कार्यालय एवं 1 निवास हेतु)	0.02
3	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर (3)	1.80
4	फोटो स्टेट मशीन	0.75
5	पीठासीन अधिकारी के कक्ष हेतु एक ए.सी	0.45
	योग	6.02

उक्त न्यायालयों के भवन निर्माण के अतिरिक्त अन्य व्यय मय नवीन आईटम्स बजट मद 2014-00-105-(03)-00-[01] (राज्य निधि) (प्रतिबद्ध) में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा। बजट मद में अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता होने पर R.E. 2021-22 में प्रस्ताव प्रस्तुत करायें।

कृपया उक्त नवीन आईटम्स क्रय करते समय तत्संबंधी नियमों/ निर्धारित प्रकियाओं एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्व पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।

इन न्यायालयों के भवन निर्माण के लिये केन्द्र सरकार से केन्द्रीय हिस्से की 60% राशि प्राप्त होने पर भूमि की उपलब्धता होने पर तखमीने सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर राशि स्वीकृत् की जायेगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी संख्या 102102500 दिनांक 23.06.2021 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

8.7.2021

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. वित्त (व्यय-5)/ वित्त (बजट) विभाग।
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

8.7.2021

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक : जी/आई/ए-4(i)(a)88/2021/573-575 दिनांक : 26-08-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाडा, सवाई माधोपुर एवं भरतपुर।
02. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, आनन्दपुरी जिला बांसवाडा, चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर एवं उच्चैन जिला भरतपुर।
03. Registrar (Classification), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / पीठ जयपुर, जयपुर को Upload करने बाबत ।

26/8/21

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

Computer Cell
to upload the same
on website
26/8/21

C:\Users\User\Downloads\Sanction Letter (2).docx